परियोजना का नामः—जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी में **RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Koruwa to Bairatkhai (Total Length-31.00 KM)** तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित आरक्षित, सिविल एवं सोयम वनभूमि एवं कैट बोर्ड क्षेत्र की कुल वनभूमि 0.93 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु **Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab)** को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

प्रतिवेदन

(परियोजना के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण)

RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Koruwa to Bairatkhai (Total Length-31 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु (अनुमानित लागत —रू0 186.00 लाख) — जनपद— देहरादून में **Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali (Panjab)** द्वारा प्रस्तावित इस परियोजना के अन्तर्गत **Koruwa to Bairatkhai** तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु 0.93 है0 वन भूमि प्रस्तावित की गयी है। इस परियोजना से जनपद के लगभग सभी वासियों को ब्राडबैण्ड, मोबाईल, लैण्ड लाईन तथा कई और उच्च तकनीकी संचार सुविधाओं का लाभ मिलेगा।

ह0/—

(प्रयोक्ता एजेन्सी)

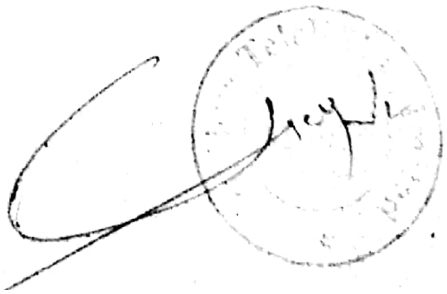

Scanned by CamScanner

परियोजना का नामः—जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी में **RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Koruwa to Bairatkhai (Total Length-31.00 KM)** तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित आरक्षित, सिविल एवं सोयम वनभूमि एवं कैट बोर्ड क्षेत्र की कुल वनभूमि 0.93 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु **Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab)** को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

<u>प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का शासनादेश</u>

संलग्न है।

ह0/—
प्रयोक्ता एजेन्सी

Scanned by CamScanner

फार्म "क"

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा–2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग–1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

क.स.	विवरण	कियान्वयन
1.	परियोजना विवरण :– क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी में RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Koruwa to Bairatkhai (Total Length-31.00 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु।
	ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस–पास के वनो की सीमाओ को दर्शाने वाला मैप।	संलग्न है।
	ग) परियोजना की लागत।	रू0 186.00 लाख
	घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	दूरसंचार सेवा प्रदान करना।
	ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)	लागू नहीं।
	च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	प्रस्तावित परियोजना के निर्माण के दौरान स्थानीय कुशल /अकुशल श्रमिको को रोजगार मिलेगा।
2.	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरणः–	0.93 है0 वन भूमि
3.	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है।	नहीं
	क)परिवारों की संख्या	शून्य
	ख)अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	शून्य
	ग)पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	शून्य
4.	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है? (हां/नही)	हॉ
5.	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये)	भारत सरकार /उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु लगायी जाने वाली समस्त शर्तों का पालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।
6.	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों /दस्तावजेजों का व्यौरा।	संलग्न है।

दिनांक.....
स्थान.....

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर
नाम (Sudhir Chauhan)
मोहर

प्रस्ताव की क्रम संख्या.....
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

Scanned by CamScanner

भाग – II

(संबन्धी उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या ......

7.	परियोजना स्कीम का स्थान	परियोजना का नाम :–जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी के अन्तर्गत RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Koruwa to Bairatkhai (Total Length-31 KM) तक मोटर 0.93 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab) को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।
(i)	राज्य /संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
(ii)	जिला	देहरादून
(iii)	वन प्रभाग	चकराता वन प्रभाग
(iv)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हैक्टेअर में)	0.93 हैक्टर वन भूमि
(v)	वन की कानूनी स्थिति	0.045 हैक्टर, आरक्षित वन भूमि 0.645 हैक्टर सिविल सोयम भूमि 0.24 हैक्टर (कैंन्ट बोर्ड क्षेत्र)
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.1
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनानाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल., एफ.आर. एल–2 मीटर पर परिगणना और एफ.आर.एल.–4 मीटर भी संलग्न किये जाए)	प्रस्तावित कार्य स्थल पर कोई वृक्ष वाधित/प्रभावित होने निहित नहीं है।
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	– –
(ix)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित/चयनित कार्य स्थल आरक्षित, सिविल एवं सोयम वन एवं कैंट बोर्ड क्षेत्र के अन्तर्गत है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है।(यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधिति की जाए)	नहीं। इस बावत प्रस्तावक/कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक प्रस्ताव के संलग्नक ~~पृष्ठ सं0 –~~ .... ~~पर चस्पा~~ है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती है।यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नहीं।
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठापन और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं। इस बावत प्रस्तावक / कार्यदायी संस्था एंव राजस्व विभाग द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक ~~पृष्ठ सं0–~~ .... ~~पर चस्पा~~ है।
8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मद–वार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	इस बावत प्रस्तावक/ कार्यदायी संस्था एंव वन विभाग द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रस्ताव के संलग्नक ~~पृष्ठ सं0 –~~ .... ~~पर चस्पा~~ है।

Scanned by CamScanner

भाग– III

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14– स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हॉ/नहीं) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

15– क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग–ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

16– प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

हस्ताक्षर:

तिथि.....
स्थान.....

नाम और पदनाम
सरकारी मोहर

Scanned by CamScanner

भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष,
वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17– टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।
(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

हस्ताक्षरः

तिथि :
स्थान :

नाम और पदनाम
सरकारी मोहर

Scanned by CamScanner

भाग–V

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

17– राज्य सरकार की सिफारिशः

(उपर्युक्त भाग–II या भाग–III या
भाग–IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी
द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर
विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

हस्ताक्षरः

नाम और पदनाम
सरकारी मोहर

तिथि :
स्थान :

Scanned by CamScanner

परियोजना का नाम:– ....जनपद देहरादून कालसी नग...
........) के कि0मी0........से कि0मी0........तक के ....
आरक्षित / ....वन क्षेत्र से भूमिगत ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाना।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण–पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक को उपरोक्त प्रयोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण की कार्यवाही में वन विभाग की ओर से श्री 1) .... 2) .... राजस्व विभाग / नगर पालिका परिषद् .... की ओर से रा. नि. .... प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री मोहन सिंह .... द्वारा भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आरक्षित वन भूमि 0.0115 हे0 प्राइवेट फारेस्ट भूमि ...... हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि ....हे0, वन पंचायत भूमि ....हे0 एवं नाप भूमि ...... हे0 प्रभावित होती है। प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा प्रस्तावित भूमि की मांग न्यूनतम है। दि. – 07/10/17.

कोरवा से बैराट खाई

1)	कोरवा क्षेत्र	आरक्षित भूमि	1.5 कि0मी0
2)	चकराता (कैन्ट क्षेत्र)	कैन्ट क्षेत्र	8. कि0मी0
3)	बैराट खाई	सिविल क्षेत्र	21.5 कि0मी0

(अन्य आवश्यक कोई विवरण जो दिया जाना हो)......प्रस्तावित वन भूमि के अन्तर्गत कोई वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

ह0/ (प्रयोक्ता एजेन्सी)

ह0/ 07/10/17
राजस्व विभाग प्रतिनिधि
राजस्व ....
क्षेत्र... साहिया........
तहसील कालसी देहरादून

ह0/
वन क्षेत्राधिकारी
वन विभाग प्रतिनिधि

प्रति हस्ताक्षरित
जिलाधिकारी

प्रति हस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी

व0वि0 अधिकारी साहिया

व0वि0अ0 कालसी

9-10-2017

9-10-01
पी0 एस0 नेगी
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षे0 ....

9/10/17
तहसीलदार
...

वन दरोगा

आई0डी0 शर्मा
रा0उपनि0 / थानाध्यक्ष
क्षेत्र .... चकराता
जिला देहरादून

Scanned by CamScanner

वन अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम सौंजा

तहसील चकराता

जिला देहरादून

परियोजना का नाम जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड जौनपुर अन्तर्गत RoW permission for laying Optical Fibre Cable Aerial (approx. 35 poles per km.) from Baadwala Chowk Chakrata-Yamuna bridge Total length 31.00km.) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.93 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यो हेतु VINDHYA TELELINKS LIMITED, EPC DIVISION, INDUSTRIAL AREA, PHASE-8B MOHALI (PUNJAB) को भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

उक्त प्रकरण के विषय मे ग्राम पंचायत........सौंजा..........द्वारा दिनांक 10/10/2017 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक मे प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध मे अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। कि वन अधिकार अधिनियम 2005 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि के आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित ग्रामवासियो द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वनभूमि में आदिवासी अथवा गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसकेअतिरिक्त परियोजना के निर्माण से आवेदित वन भूमि पर ग्राम वासियो का परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा सर्वसम्मति द्वारा निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम .... के ग्रामवासियों को उक्त परियोजना के निमार्ण हेतु अपेक्षित 0.93 है0 (वन स्वरूप) बंजर भूमि का (संरक्षण) 1980 के तहत गैरवानिकी कार्य हेतु VINDHYA TELELINKS LIMITED, EPC DIVISION, INDUSTRIAL AREA, PHASE-8B MOHALI (PUNJAB) के पक्ष में ऑप्टिकल फाईबर बिछाये जाने पर कोइ आपत्ति नही है।

है0	है0	प्रधान ग्राम पंचायत सैंज (बमटाड) वि0 ख0 कालसी देहरादून
ग्राम सचिव	प्रयोक्ता एजेन्सी	ग्राम प्रधान
मोहर सहित	Vindhya Telelinks Limited Mohali	मोहर सहित
		मीरा देवी

Scanned by CamScanner

परियोजना का नाम [illegible] के विकासनगर [illegible] अंतर्गत RoW permission for laying Optical Fibre Cable Aerial (approx. 35 poles per km.) from Baadwala Chowk-Chakrata-Yamuna bridge Total length 95.5 km.) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु आपेक्षित 2.865 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु VINDHYA TELELINKS LIMITED, EPC DIVISION, INDUSTRIAL AREA, PHASE-8B MOHALI (PUNJAB) को भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण पत्र

संलग्न है।

प्रधान / [illegible]

मोहर

प्रधान 10/10/2017
ग्राम पंचायत उदपाल्टा
वि०ख० कालसी (देहरादून)

प्रधान ग्राम पंचायत नेवी
ह०
दि०
वि० ख० कालसी (देहरादून)

प्रधान ग्राम पंचायत
ह०
दि०
वि० ख० कालसी (देहरादून)

प्रधान ग्राम पंचायत कोरुवा
ह०
दि०

परियोजना का नाम—जनपद देहरादून के विकास खण्ड में **RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Koruwa to Bairatkhai (Total Length-31.00 KM)** तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित आरक्षित, सिविल एवं सोयम वनभूमि एवं कैट बोर्ड क्षेत्र की कुल वनभूमि 0.93 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु **Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab)** को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

लैन्ड शेड्यूल

(वन विभाग)

जिला	प्रभाग /रेंज का नाम	वन ब्लाक	लम्बाई (मी0)	चौड़ाई (मी0)	क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	क्षेत्रफल (हे0)
देहरादून	चकराता वन प्रभाग /रीवर रेंज	कालसी	1500	0.30	450.00	0.045

ह0/—
प्रभागीय वनाधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी
रीवर रेंज
डाकपत्थर

Scanned by CamScanner

परियोजना का नामः–जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी में **RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Koruwa to Bairatkhai (Total Length-31.00 KM)** तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित आरक्षित, सिविल एवं सोयम वनभूमि एवं कैट बोर्ड क्षेत्र की कुल वनभूमि 0.93 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु **Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab)** को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

लैन्ड शेड्यूल

(सिविल एवं सोयम, वन पंचायत एवं नाप भूमि) का लैन्ड शेड्यूल के लिये (राजस्व विभाग)/ जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र

जिला	तहसील	ब्लाक	भूमि का प्रकार	खसरा सं0	लम्बाई (मी0में)	चौड़ाई (मी0में)	याचित क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	याचित क्षेत्रफल (हे0)
देहरादून	कालसी	कालसी	सिविल	.....	21500.00	0.30	6450.00	0.645
			कैंट बोर्ड क्षेत्र	.....	8000.00	0.30	2400.00	0.24
कुल योग :–					**29500.00**	**0.30**	**8850.00**	**0.885**

ह0/–
जिलाधिकारी

Scanned by CamScanner

परियोजना का नामः—जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी मे RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Koruwa to Bairatkhai (Total Length-31.00 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित आरक्षित, सिविल एवं सोयम वनभूमि एवं कैट दोर्ड क्षेत्र की कुल वनभूमि 0.93 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab) को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु अपेक्षित वन भूमि जो ......रिवर रेंज...... .... रेंज के अन्तर्गत अवस्थित है। किसी राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, हाथी कोरीडोर, राष्ट्रीय पार्क/वन्य अभ्यारण्य आदि का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावित भूमि/क्षेत्र में दुलर्भ वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न विशिष्ट प्रजातियां नहीं पायी जाती है।

ह0/
प्रभागीय वनाधिकारी

उपप्रभागीय वनाधिकारी
यमुना वन प्रभाग
कालसी

वन क्षेत्राधिकारी
रीवर रेंज
डाकपत्थर

वन क्षेत्राधिकारी
रीवर रेंज

Scanned by CamScanner

परियोजना का नामः—जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी में RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Koruwa to Bairatkhai (Total Length-31.00 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित आरक्षित, सिविल एवं सोयम वनभूमि एवं कैट बोर्ड क्षेत्र की कुल वनभूमि 0.93 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यो हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab) को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

<u>प्रस्तावित स्थल की राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य से (हवाई) दूरी का प्रमाण—पत्र</u>

<u>प्रमाण—पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना स्थल राष्ट्रीय पार्क/ वन्य जीव अभ्यारण्य से हवाई दूरी लगभग ..... किमी0/ 25 कि0मी0 है।

ह0/
प्रभागीय वनाधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी
रीवर रेंज
डाकपत्थर

Scanned by CamScanner

परियोजना का नामः–जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी में **RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Koruwa to - Bairatkhai (Total Length-31.00 KM)** तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित आरक्षित, सिविल एवं सोयम वनभूमि एवं कैट बोर्ड क्षेत्र की कुल वनभूमि 0.93 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु **Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab)** को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

बारचार्ट

मी0

1500.00	21500.00	– –	8000.00

आरक्षित वन भूमि
सिविल एवं सोयम वन भूमि
वन पंचायत भूमि
कैंट बोर्ड क्षेत्र

ह0/
प्रयोक्ता एजेन्सी

Scanned by CamScanner

परियोजना का नामः—जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी में RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Koruwa to Bairatkhai (Total Length-31.00 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित आरक्षित, सिविल एवं सोयम वनभूमि एवं कैट बोर्ड क्षेत्र की कुल वनभूमि 0.93 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab) को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

प्रस्तावित परियोजना का स्थल मानचित्र

प्रस्तावित परियोजना का 1:50000 पैमाने की टोपोशीट एंव डिजीटल एंव जियो—रिफरेंशन मानचित्र जिसमें आरक्षित वन को हरे रंग से, सिविल वन भूमि को पीले रंग से, वन पंचायत भूमि को नीले रंग से, व नाप भूमि को अन्य रंग से, प्रस्तावित समरेखण को लाल रंग से दर्शाया गया है।

(प्रयोक्ता एजेन्सी)

Scanned by CamScanner

परियोजना का नामः—जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी में **RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Koruwa to Bairatkhai (Total Length-31.00 KM)** तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित आरक्षित, सिविल एवं सोयम वनभूमि एवं कैट बोर्ड क्षेत्र की कुल वनभूमि 0.93 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु **Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab)** को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण योजना का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के आस—पास रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु वॉछित धनराशि वन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

ह0/—
(प्रयोक्ता एजेन्सी)

Scanned by CamScanner

परियोजना का नामः—जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी में **RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Koruwa to Bairatkhai (Total Length-31.00 KM)** तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित आरक्षित, सिविल एवं सोयम वनभूमि एवं कैट बोर्ड क्षेत्र की कुल वनभूमि 0.93 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु **Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab)** को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

प्रस्तावित परियोजना में वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण में कोई वृक्ष वाधित/प्रभावित होने निहित नहीं है।

ह0/—
प्रभागीय वनाधिकारी

Scanned by CamScanner

परियोजना का नामः—जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी में **RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Koruwa to Bairatkhai (Total Length-31.00 KM)** तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित आरक्षित, सिविल एवं सोयम वनभूमि एवं कैट बोर्ड क्षेत्र की कुल वनभूमि 0.93 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु **Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab)** को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण—पत्र

रिक्त

ह0/—
प्रधान/सरपंच
मोहर

Scanned by CamScanner

परियोजना का नामः—जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी में **RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Koruwa to Bairatkhai (Total Length-31.00 KM)** तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित आरक्षित, सिविल एवं सोयम वनभूमि एवं कैट बोर्ड क्षेत्र की कुल वनभूमि 0.93 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु **Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab)** को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

परियोजना की लम्बाई—चौड़ाई का प्रमाण—पत्र।

जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी के अन्तर्गत मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित आरक्षित वन भूमि की लम्बाई—1500.00 मीटर, चौड़ाई—0.30 मीटर कुल 450.00 वर्ग मीटर अर्थात 0.045 है0 सिविल वन भूमि की लम्बाई—21500.00 मीटर, चौड़ाई—0.30 मीटर कुल 6450.00 वर्ग मीटर अर्थात 0.645 है0 तथा कैंट बोर्ड क्षेत्र की लम्बाई— 8000.00 मीटर, चौड़ाई— 0.30 मी0 कुल 2400.00 वर्ग मी0 अर्थात 0.93 है0 है। जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः—

भूमि का प्रकार	लम्बाई (मी0 में)	चौड़ाई (मी0 में)	क्षेत्रफल (वर्ग मी0 में)	क्षेत्रफल (है0 में)
आरक्षित वन	1500.00	0.30	450.00	0.045
सिविल एंव सायेम भूमि	21500.00	0.30	6450.00	0.645
वन पंचायत भूमि	**23000.00**	**0.30**	**6900.00**	**0.690**
कुल वन भूमि				
कैंट बोर्ड क्षेत्र	8000.00	0.30	2400.00	0.24
कुल भूमि	**31000.00**	**0.30**	**9300.00**	**0.930**

ह0/
प्रयोक्ता एजेन्सी

Vindhya Telelinks Limited Bairakhai

Scanned by CamScanner

परियोजना का नामः—जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी में **RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Koruwa to Bairatkhai (Total Length-31.00 KM)** तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित आरक्षित, सिविल एवं सोयम वनभूमि एवं कैट बोर्ड क्षेत्र की कुल वनभूमि 0.93 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु **Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab)** को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

<u>वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त किये जाने का प्रमाण—पत्र।</u>

प्रस्तावित परियोजना हेतु अन्य वैकल्पिक समरेखण न होने के कारण अन्य वैकल्पिक समरेखणों पर विचार नहीं किया गया। प्रस्तावित समरेखण को उचित पाया गया जो कि प्रस्तावित है।

ह0/
प्रयोक्ता एजेन्सी

Scanned by CamScanner

परियोजना का नाम—जनपद देहरादून विकास खण्ड कालसी में RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Koruwa to Bairatkhai (Total Length-31.00 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित आरक्षित, सिविल एवं सोयम वनभूमि एवं कैंट बोर्ड क्षेत्र की कुल वनभूमि 0.93 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab) को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता /कार्यदायी संस्था /एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

ह0 /–
(प्रयोक्ता एजेन्सी)

उप-[illegible] [illegible]
[illegible] प्रभाग
कालसी

ह0 /–
प्रभागीय वनाधिकारी
[illegible]

Telelinks
Mohali

Scanned by CamScanner

परियोजना का नामः—जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालरी में **RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Koruwa to Bairatkhai (Total Length-31.00 KM)** तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केंबिल बिछाने हेतु अपेक्षित आरक्षित, सिविल एवं सोयम वनभूमि एवं कैट बोर्ड क्षेत्र की कुल वनभूमि 0.93 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु **Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab)** को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

भू—वैज्ञानिक की आख्या

प्रस्तावित परियोजना हेतु भू—वैज्ञानिक की आख्या की आवश्यकता नहीं है।

ह0/—
(प्रयोक्ता एजेन्सी)

Scanned by CamScanner

परियोजना का नामः—जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी में **RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Koruwa to Bairatkhai (Total Length-31.00 KM)** तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित आरक्षित, सिविल एवं सोयम वनभूमि एवं कैट बोर्ड क्षेत्र की कुल वनभूमि 0.93 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु **Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab)** को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

भू—वैज्ञानिक/ जिला टॉस्क फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण—पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु भू—वैज्ञानिक/जिला टॉस्क फोर्स द्वारा दिये गये सुझावों/शर्तो का निर्माण कार्य के दौरान प्रस्तावक विभाग द्वारा पूरी तरह अनुपालन किया जायेगा।

ह0/
प्रयोक्ता एजेन्सी

Scanned by CamScanner

Task Force Certificate

(i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.
(ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
(iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
(iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

A part from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

(i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.
(ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping is view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in roak. Use of delay detonators in large scale basting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.
(iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen much treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made
(v) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culvers, breast walls, retaining and the walls are provided for purposes of establishing the slips Growth vegetative cover is stimulated in the disturbed hill slops above the road level by planting suitabl fast growing shrubs and plants. In certain selected unstable areas terrace afforestation has also been plasticized as a stabilizing measure with go results.

Scanned by CamScanner

(vi) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tacking land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and other engaged in construction of hill roads these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की उपरोक्त संस्तुतियाँ याचक विभाग को मान्य हैं।

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

Scanned by CamScanner

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख–रखाव के दौरान प्रस्तावक /कार्यदायी संस्था द्वारा वन्य जीव/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नही पहुँचाया जावेगा।

ह0/
प्रयोक्ता एजेन्सी

Scanned by CamScanner

अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा यावित 0.93 है0 वन भूमि की मांग न्यूनतम है इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव नही है।

ह0/

प्रयोक्ता एजेन्सी

ह0/

प्रभागीय वनाधिकारी

ह0/

जिलाधिकारी

Scanned by CamScanner

धार्मिक / पौराणिक / ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण--पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नही है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नहीं की गई है।

ह0 /
(प्रयोक्ता एजेन्सी)

ह0 / –
प्रभागीय वनाधिकारी

ह0 / –
जिलाधिकारी

Scanned by CamScanner

लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से निम्न प्रकार स्थानीय ग्रामों/ के परिवारों/जनसंख्या एंव पर्यटको को लाभ प्राप्त होगा।

ग्राम	परिवार	जनसंख्या
[illegible]	55	580
....	....	....
......	....	....

प्रयोक्ता एजेन्सी

Scanned by CamScanner

पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता हुई तो प्रयोक्ता एजेन्सी पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त कर प्रस्तुत की जायेगी।

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

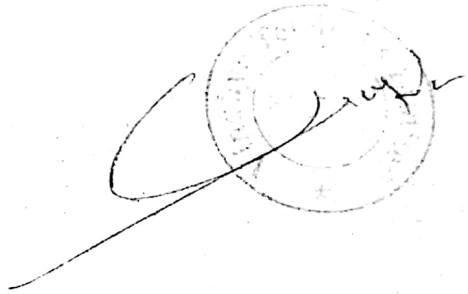

Scanned by CamScanner

वन भूमि के मूल्य का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रयोजन हेतु 0.93 है0 वन भूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल्य रूपये रिक्त प्रति है0 है तथा वन भूमि का कुल मूल्य रू0.....होता है तथा वार्षिक लीज रेन्ट .....प्रतिशत की दर से .....रू0 होता है।

—— रिक्त ——

ह0/–
जिलाधिकारी

Scanned by CamScanner

एन0पी0वी0 जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन0पी0वी0 की देय धनराशि प्रस्तावक विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि भी प्रस्तावक विभाग द्वारा जमा करा दी जायेगी।

ह0/-

प्रयोक्ता एजेन्सी

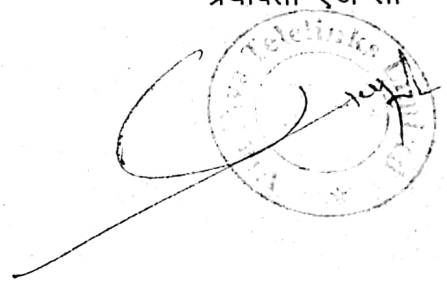

Scanned by CamScanner

स्थल विशिष्ट होने न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित स्थल स्थलीय विशिष्ट नहीं है।

ह0/–

प्रभागीय वनाधिकारी

ह0/

जिलाधिकारी,

Scanned by CamScanner

मलवें के निस्तारण का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के निर्माण से उत्पादित मलवे को केविल लाईन को दबाने आदि पूर्णतयाः इस्तेमाल किया जायेगा तथा उत्पादित मलवे को आस–पास की वन भूमि में नहीं फेंका जायेगा। अतः मक डिस्पोजल प्लान बनाने की आवश्यकता नहीं है।

दिनांक

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

Scanned by CamScanner

मानक शर्तें:

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके उसके वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापित नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि माँगी गई भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरीय विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे के भुगतान उक्त विभाग को करना होगा, जिसके याचक विभाग सहमत हैं।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देर-रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरण वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरीय विभाग को कोई आपत्ति नही हांगा।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्दादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य करणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वछन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नरसरियों पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूतिम का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष की हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर एलाईनमेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सा0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सा0नि0वि0 के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्व0 क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी0 दिनांक 10-2-82 में निहित आदेशों का पालन भी प्रस्तावक द्वारा किया जायेगा कि अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होना जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उ0प्र0 वन निगम अथवा और कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तान्तरण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उसका पालन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान याचक विभाग वन विभाग को करेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।

Scanned by CamScanner

15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेडों का कटान नहीं किया जायेगा। या खम्भों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेडों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेडों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना अगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वयं अपने व्यय से करायेगा।
17. उपरीलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्टि प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती है तो याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुश्चित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें याचक विभाग को मान्य है।

ह0/
प्रयोक्ता एजेन्सी

Scanned by CamScanner

लीज अवधि का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमि 30 वर्षों की लीज पर ली जा रही है।

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

Scanned by CamScanner

परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी तेल /कुकिंग गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी तेल/कुकिंग गैस की आपूर्ति जिला आपूर्ति अधिकारी के माध्यम से प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

ह0

प्रयोक्ता एजेन्सी

Scanned by CamScanner

कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून
देहरादून

पत्रांक [illegible] दिनांक [illegible]

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जनजातीय व्यक्ति एवं परम्परागत वन निवासी हेतु गठित जिलास्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त—

दिनांक [illegible] को जिलाधिकारी, देहरादून की अध्यक्षता में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत गठित जिलास्तरीय समिति [illegible] देहरादून के [illegible] के अन्तर्गत **RoW permission for laying Optical Fiber** [illegible] **Approx 25 Poles per KM** [illegible] **Kanwa to Dakpathar Total Length-31 KM)** [illegible] ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु प्रस्तावित 1.83 हे0 वन भूमि को 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें उक्त 1.83 हे0 वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु **Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Waidhan (Rewa)** को [illegible] लीज पर दिये जाने [illegible] ग्राम सभा [illegible] समिति द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों से सहमति [illegible] हेतु अनापत्ति की अनुशंसा की गयी है, जिसमें समिति के समस्त सदस्यों द्वारा उक्त भूमि की अनापत्ति एवं संस्तुति पर विचार विमर्श किया गया तथा जिलाधिकारी देहरादून की संस्तुति के आधार पर निर्णय लिया गया कि उक्त 1.83 हे0 प्रस्तावित वन भूमि जो कि वन विभाग के [illegible] रेंज के अन्तर्गत आती है पर अनापत्ति देने हेतु संस्तुति की जाती है। तद जिलाधिकारी [illegible] देहरादून की बैठक का कार्यवृत्त समाप्त है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून	प्रभागीय वनाधिकारी [illegible] वन प्रभाग, [illegible]	जिलाधिकारी देहरादून

पत्रांक../दिनांक

प्रतिलिपि – ....

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी
देहरादून।

Scanned by CamScanner

कार्यालय ... कारी, कालसी देहरादून
अनुसूचित जनजाति और पर... सी अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड ... ते, कालसी, देहरादून

उपखण्ड कालसी, देहरादून परिक्षेत्र के चकराता वन प्रभाग की रीवर रेंज के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी के अन्तर्गत **RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Koruwa to Bairatkhai (Total Length-31 KM)** तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.93 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु **Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali (Panjab)** के पक्ष में 30 वर्षो की लीज पर दिये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील –   ) की दिनांक   को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण.–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एंव नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ....उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री..............................उप जिलाधिकारी.............................. अध्यक्ष।
2. श्री [illegible] उप प्रभागीय वनाधिकारी [illegible] सदस्य।
3. श्री [illegible] सहायक समाज कल्याण अधिकारी.............. सदस्य।
4. श्रीमती मीरा देवी बी0डी0सी0 क्षेत्र [illegible] सदस्य।

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की [illegible] बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि चकराता वन प्रभाग के रीव[illegible] जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी के अन्तर्गत **RoW permission for laying Optical F[illegible] (Approx 35 Poles per KM) from Koruwa to Bairatkhai (Total Length-31 KM)** तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.93 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु **Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali (Panjab)** के पक्ष में 30 वर्षो की लीज पर दिये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी (देहरादून) मसूरी वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एंव तत्संबंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा रही है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कालसी परिक्षेत्र के अन्तर्गत चकराता वन प्रभाग के रीवर रेंज अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी के अन्तर्गत **RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Koruwa to Bairatkhai (Total Length-31 KM)** तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.93 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु **Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali (Panjab)** को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई है।

उप जिलाधिकारी /**अध्यक्ष**
उपखण्ड स्तरीय वन **अधिकार समिति**

तहसील............ / जनपद–............

प्रतिलिपि – जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी /**अध्यक्ष**
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

Scanned by CamScanner

उप जिलाधिकारी, द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी के चकराता वन प्रभाग के शीवर रेंज अन्तर्गत **RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Koruwa to Bairatkhai (Total Length-31 KM)** तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.93 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यो हेतु **Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab)** के पक्ष में 30 वर्षो की लीज पर दिये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एंव वन मंत्रालय की पत्र सं0 11–9 /98–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2013 के द्वारा सड़क निर्माण, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल, पाईप लाईन बिछाने आदि परियोजनाओं को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त रखा गया है। भारत सरकार के उक्त आदेश के कम में प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित/आंवटित भूमि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आंवटित 0.93 है0 वन भूमि /बंजर कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व पूर्व कृषि समुदाय (Primitive Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे है।

/प्रयोक्ता

उप जिलाधिकारी

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – .....

तहसील –

जिला – देहरादून ।

उत्तराखण्ड मे जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी के चकराता वन प्रभाग के शीयर रेंज अन्तर्गत **RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Koruwa to Bairatkhai (Total Length-31 KM)** तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.93 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यो हेतु **Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali (Panjab)** के पक्ष में 30 वर्षो की लीज पर दिये जाने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एंव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ..... द्वारा दिनांक..... को सम्पन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई, यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा सर्वसम्मति द्वारा निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ..... के ग्रामवासियों को उक्त परियोजना के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.93 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यो हेतु **Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab)** के पक्ष में 30 वर्षो की लीज पर दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एंव सही है।

ह0

ग्राम सचिव
मुहर सहित

ह0

ग्राम प्रधान
मुहर सहित

फैक्ट शीट

1.	प्रभावित भूमि की वैधानिक स्थिति के अनुसारी क्षेत्रफल (है0 में)	
	आरक्षित वन भूमि (वन विभाग)	– 0.045 है0
	वन पंचायत भूमि	– 0.00 है0
	सिविल सोयम भूमि	– 0.645 है0
	कैंट बोर्ड क्षेत्र भूमि	– 0.240 है0
	योग	– 0.930 है0
2.	प्रस्तावक विभाग का नाम	– Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab)
3.	वन प्रभाग का नाम	– बकराला वन प्रभाग
4.	प्रस्ताव बाईडिंग किया है।	– हॉ /नहीं
5.	प्रस्ताव में विषय सूची भरी गई है।	– हॉ /नहीं
6.	क्या भारत सरकार द्वारा निर्धारित के प्रारूप के भाग– 1, 2 व 3. के सभी बिन्दुओं की भरी गई है।	– हॉ /नहीं
7.	क्या प्रारूप में वाछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है।	– हॉ /नहीं
8.	प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है।	– हॉ /नहीं
9.	प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची /प्रमाण–पत्र संलग्न है।	– हॉ /नहीं,
10.	बॉज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण–पत्र संलग्न है।	– लागू नहीं।
11.	प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है।	– लागू नहीं।
12.	समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची है।	– लागू नहीं।
13.	क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है।	– हॉ /नहीं
14.	क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण–पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है।	– (लागू नही है)
15.	क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है।	– लागू नहीं।
16.	प्रस्तावित मार्ग के दोनो ओर /परियोजना स्थल के आस–पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण योजना संलग्न है।	– हॉ /नहीं
17.	क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।	– हॉ /नहीं
18.	प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है यदि हॉ तो मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक का प्रमाण–पत्र संलग्न है।	– हॉ /नहीं
19.	क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है।	– हॉ /नहीं

Scanned by CamScanner

20.	प्रस्तावित मार्ग क्या प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है, तो पूर्व मे जारी भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें।	–	हाँ /नहीं
21.	क्या मानचित्र मे प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग अलग रंगो से भरा गया है।	–	हाँ /नहीं
22.	यदि सड़क का आरंभिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है।	–	हाँ /नहीं
23.	क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है।	–	हाँ /नहीं
24.	यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्व स्थिति वर्णित करते हुए दोषी अधिकारियो /कर्मचारियों के नाम एव उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाये।	–	हाँ /नहीं
25.	सड़क निर्माण हेतु तलाशी गयी अन्य सम्भावनाऐं /वैकल्पिक समरेखण मानचित्र मानचित्र पर दशाये गये है।	–	हाँ /नही
26.	वैकल्पिक समरेखणो को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय)	–	हाँ /नही
27.	लागत–लाभ विशलेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है (5.00 है0 से अधिक के प्रकरणों में लागू)	–	हाँ /नही (लागू नही है)
28.	मानचित्र व बारचार्ट में एकरूपता है	–	हॉ /नहीं
29.	मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है	–	हॉ /नहीं
	अथवा		
	मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र संलग्न है।	–	हॉ /नही
30.	राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण–पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	–	हॉ /नहीं
31.	क्या प्रस्ताव मे संलग्न प्रमाण–पत्रारें की फोटो प्रतियां मूल में संलग्नप है यदि छायाप्रतियां संलग्न की गयी है।	–	हॉ /नहीं
32.	यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण–पत्र संलग्न है।	–	हॉ /नहीं
33.	वित्तीय /प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है।	–	हॉ /नहीं
34.	क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण–पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है	–	हॉ /नहीं
35.	क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण–पत्र संलग्न है।	–	हॉ /नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैक्ट शीट चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है समस्त प्रमाण–पत्र /सूचनाऐं संलग्न कर दी गयी है।

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी

Scanned by CamScanner

प्रारुप–43

परियोजना का नामः– जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी में RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Koruwa to Bairatkhai (Total Length-31.00 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित आरक्षित, सिविल एवं सोयम वनभूमि एवं कैट बोर्ड क्षेत्र की कुल वनभूमि 0.93 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab) को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित ....–....स्थल वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपयुक्त है।

0.93 × 2 = 1.86 है, 190,333=00 = 354019=38

0.69 × 2 = 1.38 है। @ 190333=00

0.24 हेक्टेयर 262659.54 रु 262660=00

220.48 @ 190333=00 = 91359.84 रु 91360=00

रु 354020

रु 3,54020=00

ह0/–

प्रभागीय वनाधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी

रीवर रेंज

डाकपत्थर

10-46/2010- CS-III
Government of India
Ministry of Communications & IT
Department of Telecommunications
Sanchar Bhavan, 20 - Ashoka Road
New Delhi - 110001

To

Dated : 11.10.2010

M/s VINDHYA TELELINKS LIMITED
PLOT NO. 1C & D, UDYOG VIHAR, P.O. CHORHATA,
REWA – 485006

Subject: **Registration Certificate for Infrastructure Provider Category-I (IP-I)**

Please find enclosed herewith the Registration Certificate No.342 /2010 dated 11.10.2010 issued to M/s Vindhya Telelinks Limited.

The following points should be noted for strict compliance by IP-I Provider:

(i) The scope of IP-I provider is limited to establish and maintain assets such as Dark Fibres, Right of Way, Duct Space and Tower for the purpose to grant on lease/rent/sale basis only to the licensed Telecom Service Providers licensed under Section – 4 of Indian Telegraph Act, 1885, on mutually agreed terms and conditions.

(ii) The IP-I provider has to submit to DoT a copy of agreement entered into with the licensed Telecom Service Providers within [illegible] days of signing such agreement.

(iii) Any breach of the terms and conditions given in the enclosed Registration Certificate will lead to cancellation of the registration without any further notice.

11.10.2010
(S.T.Abbas)
Director (CS-III)

(एस. टी. अब्बास/S. T ABBAS)
निदेशक (सी. एस.-III)
Director (CS-III)
दूरसंचार विभाग, भारत सरकार
Deptt. of Telecom, Govt. of India
नई दिल्ली/New [illegible]

10-46/2010-CS-III

Government of India
Ministry of Communications & IT
Department of Telecommunications
Sanchar Bhavan, 20, Ashoka Road
New Delhi-110001

Registration Certificate No.: 342/2010

Date: 11.10.2010

Registration certificate for Infrastructure Provider Category-I (IP-I)

This is to certify that M/s **VINDHYA TELELINKS LIMITED** with registered office at **PLOT NO. 1C & D, UDYOG VIHAR, P.O. CHORHATA, REWA – 485006** is registered as Infrastructure Provider Category I (IP-I) to establish and maintain the assets such as Dark Fibres, Right of Way, Duct Space and Tower for the purpose to grant on lease/rent/sale basis to the licensees of Telecom Services licensed under Section 4 of Indian Telegraph Act, 1885 on mutually agreed terms and conditions.

2.0 In no case the company shall work and operate or provide telegraph service including end to end bandwidth as defined in Indian Telegraph Act, 1885 either to any service provider or any other customer.

3.0 The company shall submit a copy of an Agreement entered into with the other service providers including Infrastructure Provider Category II (IP-II) within 15 days of signing of such Agreement.

4.0 The company shall provide the said infrastructure in a non-discriminatory manner.

5.0 In the event of any question, dispute or difference arising under this Registration, or in connection therewith except as to the matter the decision of which is specifically provided elsewhere under this Registration, the same shall be referred to the sole Arbitrator appointed and nominated by the Director General Telecommunications or by whatever designation Director General Telecom may be called, hereinafter called the "ARBITRAL TRIBUNAL".

5.1 This Registration Certificate and any dispute thereof shall be governed by the substantive provisions of Indian law.

5.2 The venue of Arbitration shall be New Delhi or as may be fixed by the ARBITRAL TRIBUNAL anywhere in India.

5.3 The arbitration proceedings shall be conducted in accordance with the provisions of the Indian Arbitration and Conciliation Act, 1996 and rules framed thereunder or any modifications or re-enactment thereof made from time to time.

Scanned by CamScanner

7.0 The Registered company can provide the infrastructure as stated above to any licensee of Telegraph services Licensed under section 4 of the Indian Telegraph Act 1885. The company shall in no case, grant in any manner the infrastructure to any erstwhile Licensee whose licence is either terminated or suspended or not in operation at given point of time. In the event of any infrastructure allowed before hand, then the Registered company shall be obliged to withdraw the grant of infrastructure and to disconnect or sever connectivity immediately without loss of time and further, upon receipt of any reference from the Licensor in this regard, disconnection shall be made effective within an hour of receipt of such reference. On the question of disconnectivity the decision of the Director General Telecom shall be final.

7.0 The Registered company shall provide necessary facilities depending upon the specific situation at the relevant time to the Government to counteract espionage, subversive act, sabotage or any other unlawful activity.

7.1 The Registered company shall make available on demand to the agencies authorized by the Government of India, full access to the network for technical scrutiny and for inspection which can be visual inspection or any operational inspection.

7.2 All foreign personnel likely to be deployed by the Registered company for installation, operation and maintenance of the Registered company network shall be security cleared by the Government of India prior to their deployment. The security clearance will be obtained from the Ministry of Home Affairs, Government of India, who will follow standard norms in the matter.

7.3 The Registered company shall ensure protection of privacy of communication and ensure that unauthorized interception of messages does not take place.

7.4 The Government shall have the right to take over the equipment and networks of the Registered company or revoke/terminate/suspend the Registration of the company either in part or in whole as per directions if any, issued in the public interest by the Government in case of emergency or war or low intensity conflict or any other eventuality. Provided any specific orders or direction from the Government issued under such conditions shall be applicable to the Registered company and shall be strictly complied with. Further, the Government reserves the right to keep any area out of the operation zone of the service if implications of security so require.

7.5 Government reserves the right to modify these conditions or incorporate new conditions considered necessary in the interest of national security and public interest.

7.6 The Registered company will ensure that the Telecommunication installation carried out by it should not become a safety hazard and is or in contravention of any statue, rule or regulation and public policy.

8.0 Any breach of the above terms will lead to cancellation of the registration without any further notice.

(S.T.Abbas)
DIRECTOR (CS-III)

(एस. टी. अब्बास/S. T. ABBAS)
निदेशक (सी. एस.-III)
Director (CS-III)
संचार विभाग, भारत सरकार
Department of Telecom, Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

To
M/s VINDHYA TELELINKS LIMITED
PLOT NO. 1C & D, UDYOG VIHAR, P.O. CHORHATA,
REWA – 485006

Scanned by CamScanner

INDIA NON JUDICIAL

Government of National Capital Territory of Delhi

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-DL27932343045937M
Certificate Issued Date	:	31-Oct-2014 04:38 PM
Account Reference	:	IMPACC (IV)/ dl787703/ DELHI/ DL-DLH
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-DLDL787703526770678006 92M
Purchased by	:	VINDHYA TELELINKS LTD
Description of Document	:	Article 48(c) Power of attorney - GPA
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	VINDHYA TELELINKS LTD
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	VINDHYA TELELINKS LTD
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

The Seal of Notary Public ★ Mithlesh Agarwala Regd. No. 0105/06 ★ Appointed by NCT of Delhi

.....Please write or type below this line.....

POWER OF ATTORNEY

BE IT KNOWN TO ALL BY THIS INSTRUMENT that I Y.S. Lodha, Son of Late Shri Manohar Singh Lodha, Managing Director and duly constituted Attorney of M/s Vindhya Telelinks Limited, Udyog Vihar, P.O. Chorhata, Rewa (M.P.) 486006, India do hereby delegate my power under my Power of Attorney to Mr. Sandeep Rana, Son of Shri Bishambar Singh, Resident of H No. 4581, Darshan Vihar, Sector 68, Mohali (Punjab), India also an officer of our concern at EPC Division, New Delhi, to do , perform and execute the acts and things hereunder mentioned:

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

Scanned by CamScanner

(1) To sign all documents related to Right of Way permission for Laying of Optical Fibre Cable Network in the state of Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Uttrakhand & Jammu and Kashmir.

(2) To negotiate on behalf of the Company for the above matters.

(3) To sign and accept all documents related to above matters.

AND I hereby agree that all the deeds and things lawfully done by my said attorney shall be construed as acts, deeds and things done by the company and undertake to ratify and confirm all whatsoever the said Attorney shall lawfully do or cause to be done by virtue of the power hereby given.

IN WITNESS WHEREOF I have signed the deed on this 25th day of November 2014 at New Delhi.

EXCUTANT

(Y. S. LODHA)

Signature of Mr. Sandeep Rana

WITNESS:

1.

2. (GYANESHWAR JHA)

ATTESTED

Notary Public Delhi

25 NOV 2014

Scanned by CamScanner

Annexure -1

FORM -1

(For linear project)

Government of _____

Office of the District Collector .....

No ..... Dated: .....

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purpose read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that ..... hectares of forest land proposed to be diverted in fabour of .....(name of user agency) for .....(purpose for diversion of forest land) is ..... district falls within jurisdiction of .....village (s) in ..... Tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire ..... hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of ail consultation and meeting of the Forest Right Committee (S) Gram Sabha (s) Sub Division Level Committee (s) and the district Level Committee and enclosed as annexure ..... to ..... Annexure .....

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized rights to Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

ENCL: as above

Signature

(full name and office seal of the District Collector)

Scanned by CamScanner

Annexure – II

Form – II

(For projects other than linear projects)

Government of .....

Office of the District Collector

No. .....

Date: .....

TO WHOMESOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India Letter No 11-9/98 FC (Pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of right under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to the diverted for non-forest purpose, it is certified that ..... hectares of forest land proposed to the diverted in favour of ..... within jurisdiction of ..... village in ..... Tehsils.

It is further certified that

(a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA been carried out for the entire ..... Hectares of forest land and proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meeting of the Forest Right Committee (S) Gram Sabha (s) Sub Division Level Committee (s) and the district Level Committee and enclosed as annexure ..... To ..... annexure ..... .

(b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implication, in vernacular / local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of Forest dwellers, who are eligible under the FRA

(c) The each of concerned Gram Sabha (s) has certified that all formalities / process under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having the understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha of ..... Villages (s) is enclosed as annexure ..... To annexure .....

(d) The discussion and decisions on such proposal had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.

(e) The diversion of forest land facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.

(f) The right of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encl : as above

(SIGNATURE)

(Full Name and official Seal of the District Collector)

Scanned by CamScanner